राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website :www.irgyurban.rajasthan.gov.in

स्मरण– पत्र

क्रमांक : एफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 18085-324 दिनांक : 23-08-2023

188

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर अनुमोदित कराये जाने बाबत्।

प्रसंगः–विभागीय समसंख्यक पत्रांक एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U) / 2023–24 / 10823–11069 दिनांक 25.04.2023 एवं क्रमांक 14346–430 दिनांक 20.06.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत नगरीय निकाय स्तर पर वार्षिक कार्य योजना 2023–24 परिशिष्ट–1 एवं 2 अनुरूप तैयार किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे। निदेशालय में राज्य की विभिन्न निकायों के द्वारा प्रेषित वार्षिक कार्य–योजना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि वर्ष 2023–24 के वार्षिक कार्य योजना का जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक से बिना अनुमोदन करवाकर भिजवाया गया है जो कि जारी दिशानिर्देशों के विपरित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके निकाय की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023–24 का जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक से नियमानुसार अनुमोदन कराये जाने के उपरांत ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप कार्यो को किया जावे। **यदि आपके द्वारा वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक से कराये बिना कार्यो को करवाया जाता है तो वित्तीय अनियमितता के लिये आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगें।**

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 18325-384 दिनांकः 23-08-2023

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. परियोजना निदेशक, IRGY स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, IRGY समस्त राजस्थान।
5. **उपनिदेशक निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त को भिजवाकर लेख है कि आपके सम्भाग के अर्न्तगत जिलो के सम्मुख अंकित निकायों के द्वारा (संलग्न परिशिष्ट–अ) आदिनांक तक जिला कलक्टर से अनुमोदित वर्ष 2023–24 की वार्षिक कार्य योजना नहीं भिजवाई गयी है। दिनांक 26.08.2023 को माननीया मुख्य सचिव महोदय द्वारा जिला कलक्टर एवं संभागीय आयुक्त के साथ वी. सी. के माध्यम से समीक्षा की जावेगी अतः दिनांक 24.04.2023 तक जरिये ई–मेल (IRGYURBAN.LSG@RAJAS THAN.GOV.IN) द्वारा वार्षिक कार्य योजना को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।**
6. सुरक्षित पत्रावली।

23/8/23

परियोजना निदेशक (IRGY)